



Statutory Alert:

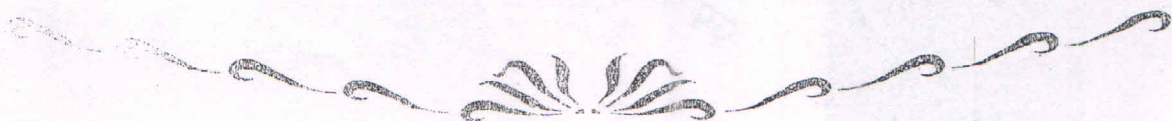


Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with subtle geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex interlocking design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, multiple watermarks and other Overt and Covert features."





कार्यालय-नगरपालिका मण्डल, कोटपूतली

: मुख्यमंत्री शहरी जनकल्याण योजना :



राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत :-

क्रमांक :

"पट्टे का प्रारूप"

दिनांक :



यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह अगस्त के 09 वें दिन नगर पालिका मण्डल कोटपूतली प्रथम पक्ष एवं मैसर्स सीत (इण्डिया) बिल्डहोम एल.एल.पी. जरिये निदेशक श्री अंकित गुप्ता पुत्र जयधर गुप्ता जाति महाजन निवासी 308 अनुकम्पा मैशन प्रथम एम.आई.रोड जयपुर (जिनको इसके बाद में लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस विलेख में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम खेडकी वीरमान के खसरा संख्या 603, 604, 605, 606 क्षेत्रफल 11860.35 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है, तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है। और जिसे पूर्ण रूप स्वामित्व संबंधी स्वतत्त्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बन्धनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये सात लाख उनसठ हजार तरेसठ अंके 759063/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण शहर जमाबन्दी या भूमि का किरायाद्ध की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. भूखण्ड पर निर्मित भवन का नियमितिकरण नहीं किया गया है, केवल भूखण्ड के स्वामित्व हेतु पट्टा जारी किया गया है। पट्टा मात्र भूखण्ड के स्वामित्व हेतु जारी किया जाता है।
5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 मॉडल-3 ए जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा
6. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम -26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
7. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा कर दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक आदेशों द्वारा, जो मुख्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

मुख्यमंत्री कोटपूतली

8. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी। परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- 9- उक्त नियमों के अधीन, किसी व्यक्ति के प्रति परादेया प्रिमियम या नगरीय निर्धारण में अन्तरिक / बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्व भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से बसूल लिया होगा।
10. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपेक्षण द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी अधिभोग सहित उसे प्रतिसंवृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
11. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था / एच.डी.एफ. सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

पट्टा तैयारकर्ता

कनिष्ठ लिपिक

परिशिष्ट

करबे का नाम : कोटपूतली
राजस्व ग्राम : खेडकी वीरभान
खसरा नम्बर : 603,604,605,606
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज 11860.35

पूर्व : गौशाला रोड
पश्चिम : एन.एच.-8 जयपुर दिल्ली रोड
उत्तर : अन्य की कृषि भूमि
दक्षिण : अन्य की कृषि भूमि

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन 2017 के माह अगस्त के 09 वें दिन

मैसर्स सन (इण्डिया) बिल्डहोम एल.एल.पी. जरिये निदेशक

श्री अंकित गुप्ता पुत्र जयभगवान गुप्ता

ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -
साक्षी:-

1. नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

मैसर्स सन (इण्डिया) बिल्डहोम एल.एल.पी. जरिये निदेशक

श्री अंकित गुप्ता पुत्र जयभगवान गुप्ता

ने निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये -

साक्षी:-

1. नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पुत्र
व्यवसाय
निवास स्थान

अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, कोटपूतली नगरपालिका, पश्चिम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी

साक्षी

लीजधारक- द्वितीय पक्ष

साक्षी

साक्षी

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 08 सन् 2017 को 11:07 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री M/S SUN INDIA BUILDHOME LLP BY DIRECTOR
ANKIT GUPTA पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIBHAGWAN GUPTA
उम्र 30 वर्ष, जाति MAHAJAN, व्यवसाय Business
निवासी House No.:306, Colony: MI ROAD, Area: ANUKAMPA
MAINSON FIRST, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District: JAIPUR,
State: RAJASTHAN

ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201701061006466

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201702061005403
दिनांक	28-08-2017
पंजीयन शुल्क ₹	7730
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	38610
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	7740
कुल योग	54380

201701061006466

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/08/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 711 में
पृष्ठ संख्या 131 क्रम संख्या 201703061103592 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2224 के
पृष्ठ संख्या 248 मे 253 पर चम्पा किया गया।

201701061006466

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)



अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

पक्षकारों का प्रकार

1. श्री/श्रीमती/सुश्री EC NAGAR PALIKA MANDAL KOTPUTLI,
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री NAGAR PALIKA, व्यवसाय जाति
Nagar Palika

		Executant Age : 0 Signature :
		Claimant Age : 30 Signature :

2. श्री/श्रीमती/सुश्री M/S SUN INDIA BUILDHOME LLP BY
DIRECTOR ANKIT GUPTA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JAIBHAGWAN
GUPTA, व्यवसाय Business जाति MAHAJAN
House No.: 306, Colony: MI ROAD, Area: ANUKAMPA
MAINSON FIRST, City: JAIPUR, Pin code: 302003,
District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

ने लेख्यपत्र Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male) को पढ़ सुन व समझकर
निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 772125/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 772125/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SURGYANI, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री UMRAY
जाति GURJAR
Age: 31
Add: House No.: 0, Colony: PAWALA RAJPUT, Area:
PAWALA RAJPUT, City: KOTPUTLI, Pin code: 303108,
District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

		Signature
		Signature

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री HARISH CHAND, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री
JOHARILAL जाति MAHAJAN
Age: 52
Add: House No.: 0, Colony: VIDHADHAR NAGAR, Area:
SECTOR - 2, City: JAIPUR, Pin code: 302003, District:
JAIPUR, State: RAJASTHAN

201701061006466

उप पंजीयक, कोटपुतली

Lease/Sale deed, allotment by local bodies, presented within 2 months (Male)



राजस्थान RAJASTHAN

D 9354

यह स्टाम्प मूल पत्र के साथ संलग्न है
पट्टा कृपाल 1212 दिनांक 9.8.17

राधिका

उप पंजीयक, कोटपूतली

Virtuosity

विनिस्ता गुप्ता

मुद्रांक दिव्यता, बूचाहेडा,
कोटमूलना ला न. 79/015



गणेश स्वामीन र. १०
३७५५५
अध्यापक र.
धारा ३-ए
२ गाय और
(धारा ३-ए)
६९४८५०
१००

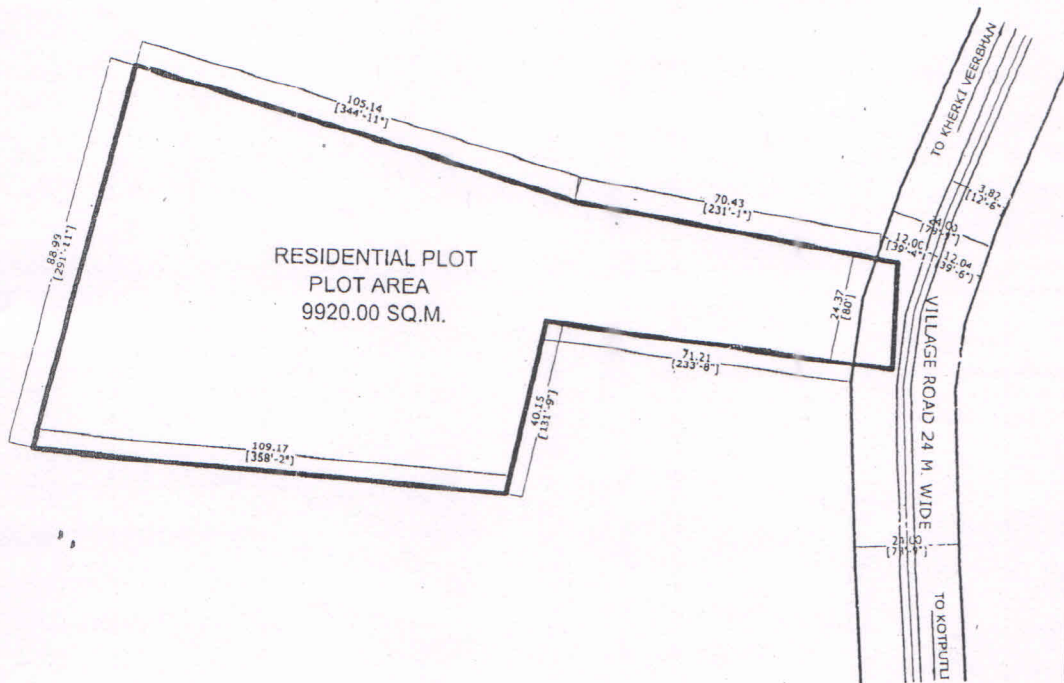
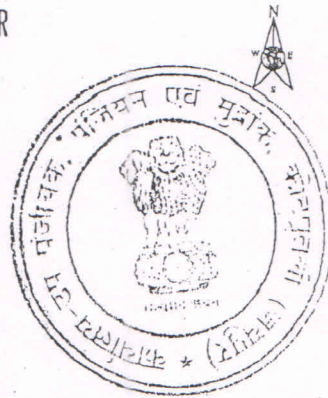
Phil Goyte

LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL PLOT

IN KHASRA NO- 603, 604, 605, 606
AT VILLAGE-KHERKI VEERBHAN, TEH.-KOTPUTLI, JAIPUR

SCALE = 1: 1000 (1CM.= 10MTR)

A TOTAL AREA = 10100.00 SQ. MTR
B ROAD SURRENDERED AREA = 180.00 SQ. MTR
C NET PLOT AREA (A-B) = 9920.00 SQ. MTR



उप पंजीयक, कोटपूतली
अध्यक्ष
नगरपालिका, कोटपूतली

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका, कोटपूतली